

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत खूँट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग से
अनु० ग्राम ठाठ तक लिंक मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.150
कि०मी०

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 15-07-2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये सिविल भूमि
प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री निलेश
तिनोड़ी वन दरीगा शीतलारवैत अनुमति राजस्व विभाग की ओर से श्री हेमांत गिरि
गोस्वामी राजस्व उप निरीक्षक सेना, शि. सेवा व प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीश चन्द्र
पन्त द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त
निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार सिविल भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

सिविल बेनाप भूमि 0.983 है०, वन पंचायत भूमि — है० एवं नाप भूमि 2.617 है० प्रभावित हो रही है।
परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की
मोंग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व
वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के
निर्माण से 3 गाँव की 526 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 101 वृक्षों व नाप भूमि पर बून्ध वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी
प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई उवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)

Suber
6.2/3 अगस्त 2015

हेमांत गिरि गोस्वामी
राजस्व उप निरीक्षक
रा. व. निरीक्षण सेना शि. सेवा
अ. व. सेवा
जनसं. वि. वि. - अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता;
ग्रामीण सड़क, पो. नि. वि.
अल्मोड़ा.

राजस्व उप निरीक्षक
अ. व. सेवा
जनसं. वि. वि. - अल्मोड़ा

परिशीलदार
अल्मोड़ा

प्रशासकीय अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

उप प्रशासकीय अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(हरीश चन्द्र)
अ. व. सेवा

अभियन्ता;
ग्रामीण सड़क, पो. नि. वि.
अल्मोड़ा.

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा